नाकाबंदी तोड़कर भाग रहे तस्करों का पीछा कर गिरफ्तार किया

- पुलिस की निजी गाडी को टक्कर मार फायर कर भागने का किया था प्रयास
- बनेडा थाने पुलिस की बड़ी कार्रवाई

भीलवाडा, (निसं)। जिले की बनेडा थाना पुलिस ने नाकाबंदी तोड भागे तस्करों की गाडी का 70 किमी पीछा कर धर दबोचने में सफलता हासिल की है। तस्करों ने पुलिस की निजी गाडी को टक्कर मार कर पुलिस पर फायर भी की थी। गनीमत रही कि टक्कर और गोलीबाजी में कोई पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ। पुलिस ने एहतियात व सतर्कता बरतते हुये हथियारों के दम पर तीन बदमाशों को दबोच लिया जबकि एक आरोपित कार से उतरकर खेतों की और भागने में सफल रहा। पुलिस ने बदमाशों से एक कार, पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद किये हैं।

बनेडा थाना प्रभारी राजेंद्र ताडा ने बताया कि शुक्रवार सुबह मुखबिर की सूचना पर कोटा बाईपास पर बांसा का खेडा के पास नाकाबंदी की हुई थी। इस दौरान मांडलगढ की तरफ से एक बिना नंबर की सफेद रंग ब्रेजा कार आती हुई दिखाई दी, जिसे रुकने का इशारा किया तो चालक कार को रोकने के बजाय नाकाबंदी तोडकर भाग निकला। थाना प्रभारी ताडा ने उच्चाधिकारियों को अवगत करवाते हुये आगे संबंधित थानों को सूचना दी और निजी स्कॉर्पियो वाहन से तस्करों का पीछा शुरु कर दिया। तस्करों ने अजमेर हाइवे की और रुख किया और तेजी गति से वाहन को भागते हुए अजमेर हाइवे को छोडकर एनएच 148 डी पर चले गये। जहां खेजडी इलाके में शंभुगढ पुलिस की नाकाबंदी देखी तो अपना वाहन पुनः उसी दिशा में घूमा लिया, जिस दिशा से वे आये थे। कुछ दूर चलने पर बनेडा पुलिस का इनसे सामना हो गया। तस्करों ने अपनी कार से पुलिस की निजी स्कॉर्पियो को टक्कर मार दिया। इसके चलते तस्करों की कार का टायर फट गया और स्कॉर्पियो भी डेमेज हो गई।

उधर, कार में सवार एक बदमाश उतर कर मक्का के खेत से होकर भाग निकला। वहीं तीन अन्य आरोपित भी कार से बाहर निकल आये। इनमें से एक ने पुलिस पर पिस्टल से फायर किया, लेकिन निशाना चूक गया। उधर, पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई। घेरा डालकर सभी तीन बदमाशों को दबोच लिया। इनसे पुलिस ने एक ब्रेजा कार, एक पिस्टल व 5 जिंदा कारतूस बरामद कर लिये। सभी बदमाशों को पुलिस बनेडा थाने ले आई। जहां मामला दर्ज कर तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना प्रभारी ताडा का कहना है कि पुलिस पर फायर दोतीवाडा, डांगियावास जौधपुर निवासी राहुल पुत्र श्यामलाल जाट ने की थी।

इसके साथ ही पुलिस ने जगदीश पुत्र सोनाराम गोदारा विश्नौई निवासी सोनडी बाडमेर व नालखेडा, पारसोली चित्तौडगढ निवासी किशन पुत्र रामपाल मीणा को गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपितों ने भागने वाले का नाम जोधपुर जिला निवासी अमित विश्नौई बताया जो ब्रेजा का चालक है। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ से पता चला कि ये लोग मादक पदार्थ की खरीद-फरोख्त करने आये थे। इनका कहना है कि शगुन नहीं मिलने से उन्होंने मादक पदार्थ नहीं खरीदा और रास्ते की रैकी कर लौट रहे थे। फिलहाल पुलिस इनसे गहन पूछताछ कर रही है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी ताडा के साथ कांस्टेबल सीताराम, विक्रम सिंह, रोहिताश, रामप्रसाद व जगदीश शामिल थे।

बनेडा थाना पुलिस ने नाकाबंदी तोड़ भागे तस्करों की गाडी का 70 किमी पीछा कर पकड़ने में सफलता हासिल की।

स्मार्ट सिटी में व्याप्त अनियमितता पर पीएम को लिखा पत्र

अजमेर, (कासं)। अजमेर नगर निगम उपमहापौर नीरज जैन ने आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाक़ात कर अजमेर में स्मार्ट सिटी में व्याप्त अनिमित्ताओं एवं घटिया निर्माण तथा प्रधानमंत्री के स्मार्ट सिटी सिटी की परिकल्पना के विपरीत किए जा रहे कामों को जाँच कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर अनियमितता को एवं घटिया निर्माण को रोकने की माँग की।

जैन ने केंद्रीय मंत्री पुरी को अजमेर में ठेकेदार एवं अधिकारियों की मिली भगत से चल रहे घटिया निर्माण एवं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में परिकल्पना के विपरीत हो रहे कामों की विस्तृत जानकारी दी। अजमेर में बन रहे एलिवेटेड रोड में घटिया सामग्री के प्रयोग के कारण एवं पूरी ड्रॉइंग में ठेकेदार की मनमर्जी से परिवर्तन करने तथा 2020 में पूरे होने वाले एलिवेटेड रोड का काम आज दिन तक आधा भी पूरा नहीं होने के बाद भी ठेकेदार को 93 प्रतिशत भुगतान करने की जानकारी दी साथ ही आनासागर झील में मिट्टी भर कर बनाए जा रहे पाथवे सहित डूब क्षेत्र में बन रहे सेवन वंडर सीधा सीधा नो कन्सटक्शन जोन में बनाए जाने से एक संरक्षित झील के स्वरूप से छेड़छाड़ की जा रही है। वहीं हॉस्पिटल, जिलाधीश कार्यालय, पटेल मैदान, ओपन एयर थियेटर में घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है।

जिसकी समय समय पर उचित माध्यम से शिकायत किए जाने के बावजूद भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में तैनात अधिकारियों ने ठेकेदारों को प्रशय दिए जाने के कारण किसी ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। जैन ने इन निर्माणों की थर्ड पार्टी परीक्षण करवाने की माँग की। केंद्रीय मंत्री पुरी ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए अधीनस्थ अधिकारियों को इस प्रकरण की निष्पक्ष जाँच करवाने के निर्देश दिए एवं आश्वस्त किया कि पूर्व में भी राज्य सरकार की मनमानी एवं अधिकारियों की लापरवाही को लेकर सांसद एवं अन्य स्त्रोतों से शिकायत प्राप्त हुई है, जिस पर गम्भीरता पूर्वक कार्यवाही की जाएगी।

प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय नगर परिषद ब्यावर

क्रमांक/नियमन/2022-23/6676 दिनांक 21/9/22

लोक सूचना

निम्नांकित खातेदारों ने इस कार्यालय में निचे उल्लेखित भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात

क. सं.	आवेदक का नाम	ग्राम	खसरा नं0	क्षेत्रफल हैक्टेयर में
1.	1. अमीन पुत्र लालू हिस्सा- 1/528 जाति- मेरात सा. फतहगढसल्ला खातेदार	गढीथोरियान	803	0.1781
	2. अशोक पुत्र मांगीलाल हिस्सा- 41/5280 जाति- जाट सा.देह खातेदार			
	3. आबिदाबानो पत्नि निजामुद्दीन गौरी हिस्सा- 3/55 जाति- मुसलमान सा. कसाबान मौहल्ला पानी की टंकी के पास ब्यावर खातेदार			
	4. कंचन पुत्री मांगीलाल हिस्सा- 41/5280 जाति- जाट सा.देह खातेदार			
	5. कान्ता पुत्री मांगीलाल हिस्सा- 41/5280 जाति- जाट सा.देह खातेदार			
	6. गरुवीरसिंह पुत्र जगतसिंह सलूजा हिस्सा- 25/88 जाति- पंजाबी सिख सा. पुष्करगंज ब्यावर खातेदार			
	7. गांधीसिंह पुत्र रामदयालसिंह हिस्सा- 1/44 जाति- पंजाबी सा. श्रीसीमेंट खातेदार			
	8. गीतादेवी पत्नि केसरीमल हिस्सा- 51/1760 जाति- धोबी सा. भजननगर अजमेररोड ब्यावर खातेदार			
	9. जगदीशकुमार पुत्र गणपतलाल जोशी हिस्सा- 3/220 जाति- जोशी सा.श्री- सीमेन्ट खातेदार			
	10. ज्ञानचंद पुत्र नोरतमल जैन डोसी हिस्सा- 1/528 जाति- जैन सा. शाहपुरा मौह.ब्यावर खातेदार			
	11. जसवन्तकुमार पुत्र रिखबचंद हिस्सा- 1/528 जाति- जैन सा. विनोदनगर ब्यावर खातेदार			
	12. त्रिलोक पुत्र केसरीमल हिस्सा- 51/1760 जाति- धोबी सा. श्रीसीमेंट खातेदार			
	13. नूरा पुत्र उजीरा हिस्सा- 1/88 जाति- मेरात सा. रूपारेल खातेदार			
	14. प्रेमी पत्नि मौह.हसैन हिस्सा- 1/44 जाति- मेहरात सा.करणपुरा तह.रायपुर खातेदार			
	15. प्रहलाद पुत्र केसरीमल हिस्सा- 51/1760 जाति- धोबी सा. श्रीसीमेंट खातेदार			
	16. प्रहलादराम पुत्र ईश्वरराम हिस्सा- 3/110 जाति- जाट सा.श्री- सीमेंट लि. खातेदार			
	17. पांचू पुत्र छोगा हिस्सा- 41/1760 जाति- जाट सा. देह खातेदार			
	18. बाबू पुत्र धीसा सरकार हिस्सा- 1/88 जाति- मेरात सा.शिव कोलोनी ब्यावर खातेदार			
	19. बाबूलाल पुत्र रामचन्द्र हिस्सा- 1/88 जाति- लोहार सा. शिवकोलोनी खातेदार			
	20. भीमा पुत्र लालू हिस्सा- 1/528 जाति- मेरात सा. फतहगढसल्ला खातेदार			
	21. मदन पुत्र चुन्नीलाल हिस्सा- 1/88 जाति- हिन्दुलुहार सा. पुराना मसूदा मार्ग ब्यावर खातेदार			
	22. मनोज पुत्र केसरीमल हिस्सा- 51/1760 जाति- धोबी सा. श्रीसीमेंट खातेदार			
	23. मोहनसिंह पुत्र धीसासिंह हिस्सा- 1/528 जाति- रावत सा. श्यामगंज मिलरोड ब्यावर खातेदार			
	24. मौहम्मदअली पुत्र हाडुल हिस्सा- 1/88 जाति- मेरात सा. बिच्छुबौडा खातेदार			
	25. लक्ष्मण पुत्र छोगा हिस्सा- 41/1760 जाति- जाट सा. देह खातेदार			
	26. लादू पुत्र छोगा हिस्सा- 41/1760 जाति- जाट सा. देह खातेदार			
	27. शरणजीत कौर पत्नि गुरुबख्शसिंह हिस्सा- 57/440 जाति- पंजाबी सा.पुष्करगंज ब्यावर खातेदार			
	28. शहाबुद्दीन पुत्र सुबान काठात हिस्सा- 41/440 जाति- मेरात सा. रूपनगर खातेदार			
	29. शाहमौहम्मद पुत्र जफरुद्दीन हिस्सा- 3/220 जाति- मुसलमान सा. अग्रसेन कोलोनी देवनाडारोड ब्यावर खातेदार			
	30. सुभाषचंद पुत्र धर्मीचंद हिस्सा- 1/528 जाति- जैन सा. गिरदावर गली ब्यावर खातेदार			
	31. सुरेन्द्र पुत्र नाथु हिस्सा- 1/88 जाति- काठात मेरात सा. लूलवा दांती का बाडिया खातेदार			
	32. सिकन्दरखान पुत्र हाकिमखान हिस्सा- 1/44 जाति- मुसलमान सा. गिरदावर गली ब्यावर खातेदार			
	33. हिमांश पुत्र अनुपकुमार गुप्ता हिस्सा- 3/110 जाति- गुप्ता सा.श्रीसीमेंट लि.अंग्रेरीदेवरी खातेदार,			

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 (क) और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधिन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 07 दिन के भीतर भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष के समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्वनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधिन आज दिनांक 21.9.22 को जारी की गयी।

प्राधिकारी अधिकारी नगर परिषद ब्यावर

विमल गंगवाल के प्राचार्य पद पर आसीन होने पर अभिनंदन

सकल दिगंबर जैन समाज की शान विमल गंगवाल का तिलक लगाकर, माल्यार्पण एवं श्रीफल भेंट कर शाल ओढ़ाकर अभिनंदन किया गया।

- सकल जैन समाज में हर्ष की लहर

अजमेर, (कासं)। श्री दिगंबर जैन महासमिति एवं श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति अजमेर के तत्वावधान में सकल दिगंबर जैन समाज की शान विमल गंगवाल के भारत वर्ष के सबसे पुराने मिलिट्री स्कूल चायल (हिमाचल प्रदेश) के प्राचार्य पद पर आसीन होने के मंगल अवसर पर समिति की राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष मधु पाटनी के मुख्य आथित्य में तिलक लगाकर, माल्यार्पण एवम श्रीफल भेंट करते हुए शाल ओढ़ाकर अभिनंदन किया गया साथ ही वंदना गंगवाल का भी स्वागत किया गया। महामंत्री कमल गंगवाल ने बताया कि अजमेर मिलिट्री स्कूल के उप प्राचार्य पद से पदोन्नत होने वाले विमल गंगवाल सकल जैन समाज के प्रथम व्यक्ति है जो मिलिट्री स्कूल के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए है

अध्यक्ष अतुल पाटनी ने बताया कि धार्मिक एवं सामाजिक सरोकार के कार्यों में अग्रणी स्थान रखने वाले विमल गंगवाल के मिलिट्री स्कूल के प्राचार्य पद पर आसीन होने पर सकल जैन समाज में हर्ष की लहर होने के साथ गोरांवित होने वाले क्षण है।

इस अवसर पर समाजसेवी वंदना गंगवाल का भी स्वागत किया गया। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष अतुल पाटनी, महामंत्री कमल गंगवाल, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष मधु पाटनी,रेनू पाटनी, सुषमा पाटनी, सुनील दोषी, लोकेश पाटनी, अमित वेद, मनीष पाटनी,दीपक दोषी, विजय पांड्या आदि ने गंगवाल का माल्यार्पण कर शुभकामनाएं प्रेषित की।

मनरेगा श्रमिकों का समय पर हो भुगतान : कलेक्टर

- अपूर्ण कार्य प्राथमिकता और पारदर्शिता से करें : कलेक्टर मोदी
- पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन

भीलवाडा, (निसं)। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समस्त योजनाओं की समीक्षा बैठक शुक्रवार को जिला कलेक्टर आशीष मोदी की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने विभिन्न योजनाओं की ब्लॉक वार समीक्षा करते हुए प्रभावी निरीक्षण करने के सभी विकास अधिकारियों को निर्देश दिए।

बैठक में जिला कलेक्टर ने मनरेगा श्रमिकों को समय पर भुगतान करने के लिए सभी विकास अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही उन्होंने ऐसे नरेगा कार्य जो अपूर्ण है उनमें प्रगति लाने तथा जिन कार्यों की सैंक्शन जारी हो चुकी है उन्हें जल्द शुरू करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने ऐसे ब्लॉक जिनमे औसत मजदूरी दर कम है, उनको सुधार के लिए निर्देशित किया।

जिला कलेक्टर ने बैठक में वर्ष 2019-20 और 2020-21 के अपूर्ण कार्यों की ब्लॉक वार रिपोर्ट ली और सभी विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि मनरेगा के अपूर्ण कार्य प्राथमिकता और पारदर्शिता से पूर्ण करें। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ शिल्पा सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पंचशाला योजना में पंचायतों में पांच काम करवाए जा रहे है। उन्होंने पंचायतो में नर्सरी और न्यूट्री गार्डन और केटलशेड निर्माण के कार्यों की प्रगति पर संतुष्टि जाहिर की। साथ ही वर्कशेड और बिल्डिंग मेटेरियल प्रोडेक्शन सेंटर कार्यों में सुधार की आवश्यकता जाहिर की। जिला कलक्टर ने बैठक के दौरान स्कूलों, आंगनवाडियों तथा सरकारी भवनों में रैन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विकसित करवाने के संबंध में विकास अधिकारियों को निर्देशित किया।

उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना तथा स्वच्छ भारत मिशन के साथ ग्राम पंचायत स्तर पर योजना से संबंधित अपूर्ण तथा पूर्ण कार्यों पर ब्लॉक वार समीक्षा करते हुए चल रहे समस्त योजनाओं के कार्यों का प्रभावी निरीक्षण करने को निर्देशित किया। इसके अलावा आसींद, करेड़ा तथा रायपुर में मगरा क्षेत्र विकास योजना की प्रगति की भी समीक्षा की। बैठक के दौरान जिला परिषद अधिशाषी अभियंता ऋषिकेश सिंह सहित विभिन्न ब्लॉक विकास अधिकारी तथा जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

कार्यालय नगर पालिका आसीन्द जिला भीलवाडा राज.

क्रमांक : नपाआ/भू.शा./2022-233/4001 प्ररूप -5 (नियम (2) देखिए) दिनांक 22/9/2022

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगरपालिका अधिनियम, 2009 69-क के अधीन नीचे वर्णित निम्नांकित आवेदको ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपनी भूमि में अपने अधिकार आवासीय/व्यवसायिक पटटा प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग के लिए पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिए नगर पालिका, आसीन्द के पक्ष में अभ्यर्पित कर दियें है।

क्र.सं	नाम	पता	उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	उत्तर दिशा दिशित करते हुए लम्बाई और चौडाई सहित क्षेत्र (वर्ग फिट में)
1	श्री शांतिलाल ,मुकेशसिंह सुरेन्द्रसिंह पुत्र श्री बंशी सिंह व श्रीमती दुर्गादेवी पत्नि श्री राजेन्द्रसिंह	वार्ड नं 15 मालियों का मोहल्ला आसीन्द	मांगी देवी	शांतिलाल कर्णावट	सोनू शेख	आम रास्ता	1019
2	श्री मेवाराम पुत्र श्री डूंगाराम गुर्जर	वार्ड नं 13 भीलवाडा रोड आसीन्द	दिनेश सुथार	ब्यावर रोड	मूनीर पठान	धर्मीचन्द	943
3	श्रीमती लादी देवी पत्नि मेवाराम गुर्जर	वाड ने 02 भैरू खेडा आसीन्द	मेवाराम गुर्जर	जेठू व श्रवण	जेठू का नोहरा	आम रास्ता	3605.15
4	श्री मेवाराम पुत्र श्री रेमता गुर्जर	वाड ने 02 भैरू खेडा आसीन्द	भंवर का मकान	लादी देवी का नोहरा	जेठू का नोहरा	आम रास्ता	4032.42
5	श्री हेमराज पुत्र श्री मानाराम बलाई	वाड ने 02 भैरू खेडा आसीन्द	नौरत गुर्जर	कन्हैयालाल गुर्जर	भैरू बलाई व सामलाती गली	नौरत गुर्जर	2025.24
6	श्री भैरूलाल पुत्र श्री मानाराम बलाई	वाड ने 02 भैरू खेडा आसीन्द	नौरत गुर्जर	जेठू गुर्जर	आम रास्ता	हेमराज गुर्जर	2268.5
7	श्री मोहम्मद उमर पुत्र जान मोहम्मद	वार्ड नं 06 सांई का बड के पास आसीन्द	आम रास्ता	आम रास्ता	अजीज मोहम्मद	अजीमूदीन शेख	885
8	श्रीमती शमा बानू पत्नि श्री गनी मोहम्मद	वार्ड नं 11 गोविन्दपुरा आसीन्द	खाली प्लाट	आम रास्ता	सलमा बानू	मूलचन्द का प्लाट	925

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जात है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर पालिका आधानयम 2009 की धारा 69-क के अधीन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने की अनुज्ञा की मंजूरी के संबंध में कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर किसी भी कार्य दिवस कार्यालय समय के दौराना अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजो के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत अवधि किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले नियत अवधि के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदानुसार निपटारा/निस्तारण किया जायेगा।

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका आसीन्द

कार्यालय नगर परिषद् किशनगढ़ (अजमेर) राज.

क्रमांक : न.प.कि./कृषि भूमि नियमन/2022/1395 दिनाक 23/9/22

आम-सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक आर.के.एस कोलोनाइजर्स प्रा0 लि0 द्वारा राजस्व ग्राम मदनगंज खसरा संख्या 515/1 में भूखण्ड संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17 18, 19, 20, 21, 26, 27 कुल भूखण्ड 18 भूखण्ड वाके मयूरा सिटी अजमेर रोड, मदनगज किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान में आंवटन/नियमन हेतु परिषद में आवेदन पर हुआ है। आवेदक द्वारा समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किये है जो पंजीकृत है। तत्पश्चात परिषद द्वारा आवेदक उपरोक्त भूखण्डों के नियमानुसार कार्यावाही करते हुए पट्टे जारी किये गये। किन्तु आवेदक द्वारा प्राप्त पट्टो को पंजीयन कार्यालय से पंजीकृत कराने से पूर्व ही उक्त भूखण्डो के पट्टे रास्ते में कही गिर जाने एवं गुम हो जाने के कारण पट्टे पंजीकृत नहीं किये जा सके। आवेदक द्वारा परिषद में पुनः उक्त पट्टे प्राप्त करने हेतु आवेदन किया है। अतः सूचित किया जाता है कि उक्त पट्टे पुनः आवेदक को जारी किये जाने में किसी को भी ऐतराज हो तो सूचना । प्रकाशन के 7 दिवस में आपत्ति प्रस्तुत करे बाद मियाद किसी भी व्यक्ति/ संस्था का किसी प्रकार का ऐतराज स्वीकार योग्य नहीं होगा अतः सूचित रहें।

नगर परिषद किशनगढ, अजमेर

प्रारुप-10 (नियम 6(7) देखिए)

प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय, नगर परिषद किशनगढ अजमेर

क्रमांक/नपकि/प्रा.अ./कृ.भू.नि/2022/1393 दिनांक : 23.9.22

लोक सूचना

आवेदक श्री सुभाष चन्द शर्मा पुत्र श्री हरि बक्श शर्मा निवासी -गहलोत कॉलोनी, बाईपास रोड, मकराना जिला नागौर राजस्थान ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आदेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात

तहसील और जिले का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्र
किशनगढ-अजमेर	सांवतसर	428/11	कुल रकबा 0.0971 हेक्टेयर में से यानि 971.00 वर्गमीटर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपयुक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझ जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 5.8.22 को जारी की गई है।

प्राधिकृत अधिकारी आयुक्त नगर परिषद किशनगढ

कार्यालय नगर निगम, अजमेर

कमांक : न. नि. अ. /22-23/एम. बी. /1411 दिनांक : 22/9/22

आपत्ति सूचना

श्री सुनील गुप्ता पुत्र श्री रामदेव गुप्ता निवासी अशोक विहार गली नं. 4 मकान नं. 32 नारीशाला के पीछे सुभाष नगर ब्यावर रोड, अजमेर द्वारा एक सम्पत्ति /भूखण्ड संख्या ए.एम.सी. नम्बर 354/11 = 726/29 = 350/24 का पूर्वी भाग है जो वाके चांद बावड़ी अजमेर में स्थित है जिसका कुल क्षैत्रफल 46.07 व.मी. है भूमि के आवासीय से व्यावसायिक वर्तमान मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यावसायिक मानचित्र स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित भू-भाग की सीमाऐं निम्नानुसार हैं।

पूर्वी :- 30 फुट चौड़ा रास्ता पश्चिम - इसी ए.एम.सी. नं. का पश्चिमी भाग श्रीमती सुधारानी बंसल का

उत्तर :- सम्पति श्रीमति सावित्री कोटवानी की दक्षिण :- सम्पति संख्या 349/24 का भाग श्री गोयल साहब का है।

अतः जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर-अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

उपायुक्त नगर निगम, अजमेर

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

मूल आवंटी/अन्तरिति की मृत्यु पर उत्तराधिकारियों द्वारा निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र के आधार पर नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण थोक तेलियान योजना के आवासीय/व्यावसायिक खसरा संख्या 70 क्षैत्रफल 306.50 वर्गगज के आवंटी/अन्तरिति श्री विशनदास हरवानी पुत्र श्री तेजूमल हरवानी निवासी वैशाली नगर अजमेर की मृत्यु दिनांक 4/12/2016 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा रिपोर्ट सलंग्न कर मृतक के वारिसों कमशः (1) श्री भगवान हरवानी पुत्र स्व. विशनदास हरवानी (2) प्रकाश हरवानी पुत्र स्व. विशनदास हरवानी (3) श्री ईश्वर हरवानी पुत्र स्व. श्री विशनदास हरवानी (4) श्रीमती कान्ता हरवानी पुत्री स्व. श्री विशनदास हरवानी पत्नि भगवान पारग्यानी (5) श्रीमती ईश्वरी उर्फ प्रिया पुत्री स्व. श्री विशनदास हरवानी पत्नि हरीश रामचंदानी निवासी (समस्त चारों) अजमेर द्वारा अपने सहहिस्सेदार श्री ईश्वर हरवानी पुत्र स्व. श्री विशनदास हरवानी निवासी 16-बी चौधरी कॉलोनी वैशाली नगर अजमेर के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 16/08/2022 के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त नामान्तरण किये जाने के संबंध में किसी को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज करावें। उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी व आवेदकों के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी।

योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

मांगों को लेकर वन विभाग के कर्मचारियों का प्रदर्शन

वन विभाग के कर्मचारियों ने वन विभाग के बाहर प्रदर्शन करते हुए धरना दिया।

अजमेर, (कासं)। 15 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्थान अधीनस्थ वन कर्मचारी संघ के बैनर तले शुक्रवार को अजमेर संभाग के वन विभाग के कर्मचारियों ने वन विभाग के बाहर जोरदार प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंप कर मांगों के शीघ्र निराकरण की मांग की। कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगे शीघ्र पूरी नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार, जिला प्रशासन की होगी।

राजस्थान अधीनस्थ वन कर्मचारी संघ के बैनर तले संभागीय अध्यक्ष भंवरलाल बारेठ के नेतृत्व में शुक्रवार को 15 सूत्री मांगों को लेकर अजमेर संभाग के चारों जिले अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर व टोंक जिलों के वन कर्मचारी एक दिवसीय हड़ताल पर उतरे। कर्मचारी बसों सहित अन्य वाहनों के माध्यम से अजमेर के जयपुर रोड़ स्थित वन विभाग कार्यालय पहुंचे, जहां पदाधिकारियों के साथ कर्मचारियों ने वन विभाग के बाहर धरना देते हुए अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। संभागीय अध्यक्ष बारेठ ने बताया कि प्रदर्शन के बाद 15 सूत्रीय मांग पत्र जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम सौंपा गया। मांग पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि जल्द उनकी मांगों का निस्तारण किया जाए अन्यथा आने वाले दिनों में वन विभाग के कर्मचारी उठा आंदोलन करेंगे। जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार और जिला प्रशासन की होगी।

राजस्थान अधीनस्थ वन कर्मचारी संघ के संभागीय अध्यक्ष भंवर लाल बारेठ ने बताया जिला प्रशासन को दिए ज्ञापन में उनकी प्रमुख मांगे हैं, जिसमें वन कर्मियों को समकश्नों पदों पुलिस, पटवारी, ग्रामसेवक आदि के समान वेतन देने, वन विभाग में 8वीं व 10वीं पास कार्य प्रभारी कर्मियों को पूर्व की भांति आयु सीमा व योग्यता में राज्य सरकार के वित्त विभाग के पत्र 24 मार्च 2011 को बिन्दु संख्या 8 के अनुसार शिथिलता देते हुए पूर्व की भांति वनरक्षक के पद पर समायोजन करने, बीहड़ जंगलों में राजकार्य करने वाले कर्मियों को मैस भत्ता राशि 2200 रुपए देने, विभाग में कायर्रत कार्य प्रभारी कर्मियों को सेवा नियम के दायरे में लेते हुए पदोन्नति एवं नवीन पद, पदनाम, सहायक वनरक्षक के पद पर पदनाम देने, अवैध शिकार, अतिक्रमण, खनन, कटान, छगाल व हिंसक वन्य जीवों के रेस्क्यू करने वाले वनकर्मियों को विशेष भत्ता (हार्ड ड्यूटी का 10 प्रतिशत) देने, वन विभाग में कार्यरत प्रभारियों की ग्रेड-पे, एसीपी 9-18-27 पर अन्य विभागों की तरह 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने ग्रेडपे 2800 से 3600 करने, समकक्ष विभाग के कार्मिकों की भांति वर्दी भत्ता राशि 7 हजार रुपए नकद वार्षिक दिलवाने, राजस्थान वन विभाग श्रमिक संघ के साथ हुए पूर्व के समझौतों की शर्तों को लागू करने, वनकर्मियों को 50 रुपए साईकिल भत्ते के स्थान पर 2 हजार रुपए प्रतिमाह पेट्रोल भत्ता देने